रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 26, 2016/कार्तिक 4, 1938
No. 746] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 2016/KARTIKA 4, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1007(अ).—चाय नियम,1954 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 465(अ) तारीख 3 अगस्त, 2016 को जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी। उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 अगस्त, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चाय नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 में, उपनियम (1), खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) चाय बोर्ड उपाध्यक्ष - पदेन ;"।

(3) मूल नियमों के नियम 12 में,-

(क) उपनियम 2 के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा; और" ;

(ख) उपनियम 2 के खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपनियम (3) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा; और " ;

(घ) उपनियम (4क) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा ; और " ;

(ड़) उपनियम (4ख) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा ; और " ;

(च) उपनियम (4ग) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) उपाध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा ; और "।

(4) मूल नियम के नियम 20क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"20क. बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के किसी कर्मचारी को नए गृह निर्माण (जिसके अंतर्गत भूमि का क्रय भी है) या तैयार निर्मित गृह को क्रय करने के लिए या किसी कर्मचारी के स्वामित्व में विद्यमान गृह में निवास योग्य आवासन के विस्तार के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू ऐसी दरों तथा शर्तों पर प्रदान किया जाएगा ।"।

5. मूल नियम के नियम 36 के उपनियम (1) में, "ऐसी वित्तीय शक्तियों जिन्हें वह समीचीन समझे, बोर्ड के स्थायी समिति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या किसी ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी वित्तीय शक्तियों को जिन्हें वह समीचीन समझे, स्थायी समिति या उपाध्यक्ष, सचिव या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को जिसे उपाध्यक्ष इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत करें, प्रत्यायोजित कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(6) मूल नियमों के नियम 38 में,-

(क) उपनियम (2) और (4) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "उपाध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) संविदाएँ, बोर्ड पर तब तक बाध्यकारी नहीं होंगी जब तक वह उपाध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा निष्पादित नहीं की जाती और उस पर बोर्ड की सामान्य मुहर नहीं लगायी जाती है।"।

(7) मूल नियमों के नियम 40 में,-

(क) "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "उपाध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि विदेशों में यात्रा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी ।" ।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं सा.का.नि.1026 तारीख 23.03.1954 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं का.आ. 228(अ) तारीख 20.02.2006, द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 1007(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Tea Rules, 1954 were published, as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) in the Gazette of India *vide* notification of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number G.S.R. 465(E), dated the 3rd August, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And Whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th August, 2016;

And Whereas no objections or suggestions were received from the public by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Tea (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Rules, 1954 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) Deputy Chairman of Tea Board-*ex-officio;*".

3. In principal rules, in rule 12,-

(A) in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and";

(B) in sub-rule (2), clause (b) shall be omitted;

(C) in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and";

(D) in sub-rule (4A), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and";

(E) in sub-rule (4B), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* Chairman thereof; and";

(F) in sub-rule (4C), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The Deputy Chairman who shall be the *ex-officio* chairman thereof; and".

4. In the principal rules, for rule 20A, the following rule shall be substituted, namely:-

"20A. An advance for building a new house (including purchase of land) or for the purchase of a ready built house or for enlarging living accommodation of an existing house owned by an employee of the Board shall be granted by the Deputy Chairman of the Board at such rates and such conditions applicable to the Central Government employees from time to time.".

5. In the principal rules, in rule 36, in sub-rule (1), for the words, "may delegate to the Standing Committee or to the Chairman, Deputy Chairman, Secretary or any other officer of the Board specially authorized in this behalf by the Chairman, such financial powers as it may consider expedient:", the words "may delegate to the Standing Committee or to the Deputy Chairman, Secretary or any other officer of the Board specially authorised in this behalf by the Deputy Chairman, such financial powers as it may consider expedient:" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 38,-

(A) in sub-rules (2) and (4), for the word "Chairman", wherever it occurs, the words "Deputy Chairman" shall be substituted;

(B) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Contracts shall not be binding on the Board unless they are executed by the Deputy Chairman or the Secretary and the common seal of the Board is affixed thereto.".

7. In the principal rules, in rule 40,-

(A) for the word "Chairman", the words "Deputy Chairman" shall be substituted;

(B) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the Central Government shall be the competent authority to approve tour programme of the Chairman and Deputy Chairman for visiting foreign countries.".

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification of the government of India in the Ministry of Commerce and Industry, number G.S.R. 1026 dated the 23rd March, 1954 and last amended *vide* notification number S.O. 228(E) dated the 20th February, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1008(अ).—कतिपय नियमों का प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 466(अ) तारीख 3 अगस्त, 2016 को, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है,

आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 अगस्त, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा.—**इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "उपाध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ड़) "कार्यपालक कृत्य" से वो जिसके अंतर्गत जो बोर्ड के कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा चाय अधिनियम, नियम, उप-विधि और नियंत्रण आदेश का क्रियान्वयन अभिप्रेत है ; और

(च) "नियम" से चाय नियम, 1954 अभिप्रेत है ।

3. **अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य.—**चाय नियम, 1954, चाय उपविधि, 1955 और उसके अधीन बनाए गए नियंत्रण आदेश में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष,-

(क) बोर्ड का प्रधान होगा ;

(ख) बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

(ग) बोर्ड के सदस्यों का, यदि कोई हो, त्यागपत्र स्वीकार करेगा ;

(घ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो आदेश द्वारा सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

4. **उपाध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य.—**अधिनियम के अधीन बनाए किसी नियम, उपविधि में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के उपाध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(क) बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना ;

(ख) बोर्ड के कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए भी अपेक्षित हों, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना ;

(ग) बोर्ड के कर्मचारियों और कर्मचारिवृन्द के मामले में नियुक्ति तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के सभी निदेशों और बोर्ड के विनिश्चयों का अनुपालन करना ;

(ड़) रोपण, पुनर्रोपण, जीर्णोद्धार, पुनर्स्थापन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना ;

(च) निर्यातकों, दलालों, भाण्डागार मालिकों, नीलामी आयोजकों, चाय अपशिष्ट धारकों को अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, जारी करना जिसके अंतर्गत ऐसे अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने की शक्ति भी है ;

(छ) विनिर्माताओं, क्रेताओं, वितरकों का रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई हो, जारी करना जिसके अंतर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त करने की शक्ति भी है ;

(ज) चाय संपदाओं का निरीक्षण, मानीटरीकरण जिसके अंतर्गत बोर्ड के अधिकारियों या किसी अधिकरण के माध्यम से अभिलेख, दस्तावेज, विवरणी, आंकड़े और जानकारी चाय फैक्टरियों, स्वामियों, आयातकों, निर्यातकों, दलालों, अनुज्ञप्तिधारी से मंगाना भी है ;

(झ) भारतीय मूल की चाय के लोगो और शब्द चिन्हों का प्रशासन करना ;

(ञ) निरीक्षण निकायों या अभिकरणों को पैनलीकृत करना ;

(ट) बोर्ड के सदस्य और सभी अधिकारियों के किसी बैठक, सम्मेलन, व्यापार मेले, कार्यशाला में भाग लेने के मामलों में नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्य करना ;

(ठ) अपनी शक्ति को बोर्ड के अधिकारी को प्रत्यायोजित करना जो कि सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ड) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए गृह निर्माण अग्रिम नियम के अनुसार, गृह निर्माण अग्रिम का अनुमोदन, मंजूरी और अनुदान करना ;

(ढ) भविष्य निधि, उपदान, पेंशन जिसके अंतर्गत परिवार पेंशन भी है, का संदान का अनुमोदन करना ; और

(ण) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियम तथा आदेशों के अधीन उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार के लिए ऐसे रियायतों को प्रदान करना।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 1008(E).—Whereas certain draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 9 read with sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), were published, as required by sub-section (1) of section 49 of the said Act, in the Gazette of India *vide* notification of Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number G.S.R.466(E), dated 3rd August, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And Whereas the copies of the said Gazette was made available to the public on the 5th August, 2016;

And Whereas no objections or suggestions were received from the public by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 9 read with sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Tea Board (Powers of Chairman and Deputy Chairman) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition**.—In these rules, unless the context otherwise require,-

(a) 'Act' means the Tea Act, 1953 (29 of 1953);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(c) "Deputy Chairman" means Deputy Chairman of the Board appointed under section 9 of the Act;

(d) "Government" means the Central Government;

(e) "Executive function" means and includes all administrative work necessary for smooth functioning of the Board and implementation of the Tea Act, and the rules, the by-laws and the Control Orders thereunder; and

(f) "Rules" means Tea Rules, 1954.

3. Powers and duties of the Chairman.—Notwithstanding anything contained in the Tea Rules, 1954, Tea By-Laws, 1955 and the Control Orders made therein, the Chairman shall,-

(a) be the Head of the Board;

(b) preside over Board meetings;

(c) accept resignation, if any, of the Board members; and

(d) exercise such other power as may be specified by the Government by order.

4. Powers and duties of the Deputy Chairman.—Notwithstanding anything contained in any rule, by-laws made under the Act, the Deputy Chairman of the Board shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to act as the chief executive officer of the Board;

(b) to exercise such powers as is required for smooth functioning of the Board;

(c) to act as the appointing and disciplinary authority of the employees and the staff of the Board;

(d) to implement all directions of the Central Government and decisions of the Board;

(e) to issue no objection certificate, if any, for planting, replanting, rejuvenation and eplacement;

(f) to issue License, if any, to exporters, Brokers, Warehouse owners, Auction Organisers, tea residue holders including the power to suspend or cancel such license;

(g) to issue registration, if any, to manufacturers, buyers, distributors, including the power to suspend or cancel such registration;

(h) to cause inspection, monitoring of the tea estates including the power to call for records, documents, returns, data and information from owners of tea estates, tea factories, importers, exporters, brokers, licensees through any of the officers of the Board or through any agency;

(i) to administer logo and word marks of teas of Indian Origin;

(j) to empanel inspection bodies or agencies;

(k) to act as controlling officer of the Board members and all officers of the Board in respect of participation in any meeting, convention, trade fair, workshops;

(l) to delegate its power to any of the officers of the Board not below the rank of Assistant Director;

(m) to approve, sanction and grant any advances, house building advance as per the House Building Advances Rules made by the Central Government in respect of Central Government employees;

(n) to approve payment of provident fund, gratuity, pension including family pension; and

(o) to grant to the officers and employees of the Board such concessions for medical attendance and treatment as are admissible to officers and employees of the Central Government under rules and orders made by the Central Government from time to time.

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1009(अ).—चाय बोर्ड, चाय अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) के साथ पठित चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, चाय बोर्ड उपविधि, 1955 में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

1. (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (संशोधन) उपविधि, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चाय बोर्ड उप-विधि, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल उपविधि कहा गया है) की उपविधि 4 के पैरा (2) में, उपविधि 7 के पैरा (2) और (3) में, उपविधि 11 के पैरा (i) में, उपविधि 17, 35, 40, 43, 50, 51 तथा 53 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहाँ वे आते हैं, "उपाध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।

3. मूल उपविधि की उपविधि 8 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विधि को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8. (1) बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम इक्कीस दिनों की सूचना दी जाएगी।

(2) अध्यक्ष कम अवधि की सूचना पर कम से कम बोर्ड के आधे सदस्यों की सहमति से बैठक आहूत कर सकेंगे।

(3) सदस्यों को किसी समिति की किसी बैठक के लिए कम से कम सात दिनों की सूचना दी जाएगी।

(4) उपाध्यक्ष समिति के किसी बैठक को ऐसी समिति के सदस्यों में से आधे सदस्यों की सहमति से कम अवधि की सूचना पर बैठक आहूत कर सकेंगे।" ।

4. मूल उपविधि की उपविधि 9 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, ''बोर्ड का अध्यक्ष'' या ''समिति का अध्यक्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल उपविधि की उपविधि 11 में,-

(क) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी और उपाध्यक्ष द्वारा समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी।";

(ख) उप खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।";

(ग) उप खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(घ) उपखंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) उन समितियों की बैठक जिनके उपाध्यक्ष सदस्य नहीं हैं, की अध्यक्षता बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।" ;

(ड.) उप खंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(v) जब कोई व्यक्ति खंड (i), खंड (ii) के निबंधनों के अनुसार, बोर्ड या उसके किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा, और " ।

6. मूल उपविधि की उपविधि 12 में "अध्यक्ष अथवा वह व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर, "अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष" शब्दों को रखा जाएगा।

7. मूल उपविधि की उपविधि 24 में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, "उपाध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।

8. मूल उपविधि की उपविधि 25 में "बोर्ड के कर्मचारी" शब्द के स्थान पर "बोर्ड के कर्मचारी, उपाध्यक्ष द्वारा", शब्द रखे जाएँगे।

9. मूल उपविधि की, उपविधि 26क में "बोर्ड अपने कर्मचारियों '' शब्दों के स्थान पर "उपाध्यक्ष, बोर्ड के कर्मचारियों शब्द रखे जाएँगे ।

10. मूल उपविधि की उपविधि 28 में,-

(1) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष अपने दैनिक एवं यात्रा भत्ते के संदर्भ में नियंत्रण अधिकारी होंगे।" ;

(2) खंड (2) में "अध्यक्ष या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. मूल उपविधि की उपविधि 38क, 39, 45 और 46 में "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, जहाँ–जहाँ वे आते हैं, "उपाध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ.1390 तारीख 22.06.1955 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25 October, 2016

G.S.R. 1009(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with sub-section (2) of section 50 of the Tea Act, the Tea Board hereby makes the following amendments to the Tea Board By-laws, 1955, namely:-

1 (1) These By-laws may be called the Tea Board (Amendment) By-laws, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Board By-laws, 1955 (hereinafter referred to as the Principal By-Laws), in paragraph (2) of By-law 4, paragraphs (2) and (3) of By-law 7, in paragraph (i) of By-law 11 and in By-laws 17, 35, 40, 43, 50, 51 and 53, for the word "Chairman", wherever it occurs, the words "Deputy Chairman" shall be substituted.

3. In the Principal By-laws, for By-law 8, the following By-Law shall be substituted, namely:-

"8. (1) At least twenty-one days notice for a meeting of the Board shall be given to the members of the Board.

(2) The Chairman may convene meeting of the Board at shorter notice with the consent of at least half of the members of the Board.

(3) At least seven days notice for a meeting of any of the committees shall be given to the members of such committees.

(4) The Deputy Chairman may convene a meeting of any of the committees at shorter notice with consent of at least half of the members of such committee.".

4. In the Principal By-laws, in By-law 9, for the word "Chairman", the words "Chairman of the Board or Chairman of the Committee" shall be substituted.

5. In the Principal By-laws, in By-law 11,-

(A) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(i) All meeting of the Board shall be chaired by the Chairman and all meetings of the Committees shall be chaired by the Deputy Chairman.";

(B) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(ii) In absence of Chairman, all meeting of the Board shall be presided over by the Deputy Chairman.";

(C) sub-clause (iii) shall be omitted;

(D) or sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(iv) Meeting of any Committee in which Deputy Chairman is not a member, shall be presided over by the person to be determined by the Board.";

(E) for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(v) Whenever the person who should preside over a meeting of the Board or any of its Committee in terms of clause (i), (ii), and".

6. In the principal By-laws, in By-law 12, for the words "Chairman or the person" at both places, the words "Chairman or the Deputy Chairman" shall be substituted.

7. In the principal By-laws, in By-law 24, for the word "Board", the words "Deputy Chairman" shall be substituted.

8. In the principal By-laws, in By-law 25, for the words "employees of the Board", the words "employees of the Board, by the Deputy Chairman" shall be substituted.

9. In the principal By-laws, in By-law 26A, for the words, "The Board may grant to its employees", the words "The Deputy Chairman may grant, to the employees of the Board" shall be substituted.

10. In the principal By-laws, in By-law 28,-

(1) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

" (1) The Chairman shall be the controlling officer in respect of his own travelling and daily allowances." ;

(2) in clause (2), the words "Chairman or the" shall be omitted.

11. In the principal By-laws, in By-laws 38A, 39, 45 and 46, for the words "Chairman or Deputy Chairman" wherever it occurs, the words "Deputy Chairman" shall be substituted.

[F. No..T-12012/1/2016-Plant(A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry Number S.R.O.1390 dated 22.06.1955.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1010(अ).—चाय बोर्ड, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 50 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) उपविधि, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1 (1) इस उपविधि का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्तों) संशोधन उपविधि, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनमें प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चाय बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्तों) उपविधि, 2015 की अनुसूची में क्रम सं. 1 से 22 के सामने, स्तम्भ (12) में,-

(क) "(i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष'', अंक और शब्द, जहां-जहाँ भी आते हैं, का लोप किया जाएगा;

(ख) "(ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य'', अंक और शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "(ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल उपविधि भारत के राजपत्र में, अधिसूचना सं. 23(4)/स्था./2009 तारीख 2 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 1010(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with sub-section (2) of section 50, the Tea Board hereby makes the following amendments to the Tea Board (Recruitment, Promotion and Conditions of Service of Officers and Staff) By-Laws, 2015, namely:-

1 (1) These By-Laws may be called the Tea Board (Recruitment, Promotion and Conditions of Service of Officers and Staff) Amendment By-Laws, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Board (Recruitment, Promotion and Conditions of Service of Officers and Staff) By Laws, 2015, in the Schedule, in column (12), against serial numbers 1 to 22,-

(a) the figures and words "(i) Chairman, Tea Board-Chairman", wherever they occur, shall be omitted;

(b) for the figures and words, "(ii) Dy. Chairman, Tea Board-Member", wherever they occur, the figures and words "(ii) Dy. Chairman, Tea Board-Chairman", shall be substituted.

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal by-laws were published in the Gazette of India vide notification Number 23(4)/Estt./2009, dated the 2nd November, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1011(अ).—चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.467(अ) तारीख 3 अगस्त, 2016 को, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 अगस्त, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1971 की अनुसूची में, क्रम संख्या. 1 जिसका सम्बंध उपाध्यक्ष के पद से है, से संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में भारत सरकार के तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं सा. का. नि. 1023 तारीख 25 मई,1971 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II खंड 3 उपखंड (i) में तारीख 10 जुलाई, 1971 में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 1011(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of officers appointed by Government) Rules, 1971 were published, as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) in the Gazette of India *vide* notification of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number G.S.R.467(E), dated the 3rd August, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And Whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th August, 2016;

And Whereas no objections or suggestions were received from the public by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of officers appointed by Government) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of officers appointed by Government) Rules, 1971, in the Schedule, the serial number 1 relating to the post of Deputy Chairman and entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Foreign Trade *vide* notification number G.S.R. 1023, dated the 25th May, 1971, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th July, 1971.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1012(अ).—चाय बोर्ड (क्षति अपलेखन) नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.468(अ) तारीख 3 अगस्त, 2016 को, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 अगस्त, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ञ क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (क्षति अपलेखन) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चाय बोर्ड (क्षति अपलेखन) नियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

(i) नियम 2 में,-

(क) खंड (ड़) में, "मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक", शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (छ) में "अध्यक्ष" शब्द का लोप किया जाएगा ।

3. मूल नियम के नियम 5 के, उपनियम (2) में, "मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक" शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल नियम के नियम 4 और नियम 6 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहां–जहां वे आते हैं, "उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

5. मूल नियम के नियम 8 में "अध्यक्ष" शब्द, जहां–जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

6. मूल नियम में, "अनुसूची " के स्थान पर, निम्न अनुसूची रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची

क्र.सं.	हानि की प्रकृति	प्राधिकारी	धनीय सीमा जिस तक प्रत्येक मामले में हानि बट्टे खाते जा सकेगी	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	समान या धन की, जिसमें स्टाम्प और पुस्तकालय की पुस्तक भी है, अवसूलीय हानियाँ	बोर्ड समितियां (कार्यकारी, निर्यात संवर्धन समिति, विकास समिति, श्रम कल्याण समिति) उपाध्यक्ष सचिव	5,000 रु० 2,500 रु० 1,000 रु० 200 रु०	@ *
2.	अवसूलीय ऋण या अग्रिम	बोर्ड समितियां (कार्यकारी, निर्यात संवर्धन समिति, विकास समिति) उपाध्यक्ष सचिव	5,000 रु० 2,500 रु० 1,000 रु० 200 रु०	@
3.	मोटर यानों को अनुपयोगी घोषित किया जाना	बोर्ड	(वर्षों में) जो भी बाट में हो, वह निम्नानुसार नियत की गई है।	

यान का प्रकार	किलोमीटर	वर्ष
18 अ.श.(आर.ए.सी.) से न्यून से फिट किए गए मोटर यान	1,50,000	8

4.	अन्य धनीय हानियाँ	उपाध्यक्ष	1,000 रु०* बोर्ड के निवास स्थानों की बाबत, अवसूलीय भाटक नुकसान की दशा में (जिसमें फ़र्निचर भाड़ा–प्रभार या सेवा प्रभार भी है)

@ चाय अधिनियम, 1954 के नियम 36 के अनुसार।

*चाय बोर्ड उपविधि, 1955 की उपविधि 52 के अनुसार।"।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में, भारत सरकार, अधिसूचना सं.सा. का. नि. 364(अ), तारीख 14 अगस्त, 1996 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 606(अ), तारीख 13 जुलाई, 2000 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 1012(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Tea Board (Write off Losses) Rules, 1996 were published, as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), in the Gazette of India *vide* notification of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number G.S.R.468(E) dated the 3rd August, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And Whereas the copies of the said Gazette was made available to the public on the 5th August, 2016;

And Whereas no objections or suggestions were received from the public by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ja) of sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Tea Board (Write off Losses) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Board (Write off Losses) Rules, 1996 (hereinafter referred to as the principal rules),-

(i) in rule 2,-

(a) in clause (e), for the words "Chief Regional Executive", the words "Executive Director" shall be substituted;

(b) in clause (g), the word "Chairman", shall be omitted.

. In the principal rules, in rule 5, in sub-rule (2), for the words "Chief Regional Executive", the words "Executive Director" shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 4 and rule 6, for the word "Chairman", wherever it occurs, the words "Deputy Chairman" shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 8, the word "Chairman" wherever it occurs, shall be omitted.

6. In the principal rules, for the "Schedule", the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Sl. No.	Nature of Loss	Authority	Monetary Limit upto which the loss may be written off in each case	
1.	Irrecoverable Losses of Stores or money including Stamps and Library Books	Board	Rs.5,000/-	@
		Committees (Executive, Export Promotion Committee, Development Committee, Labour Welfare Committee)	Rs.2,500/-	*
		Dy. Chairman	Rs.1,000/-	*
		Secretary	Rs.200/-	*
2.	Irrecoverable loans or advances	Board	Rs.5,000/-	@
		Committees (Executive, Export Promotion Committee, Development Committee, Labour Welfare Committee)	Rs.2,500/-	*
		Dy. Chairman	Rs.1,000/-	*
		Secretary	Rs.200/-	*
3.	Condemnation of Motor Vehicles	Board	(in years) whichever is reached later, have been fixed as under: Type of Vehicle / Kms. / Years Motor Vehicles fitted with less than 18 hp (RAC) / 1,50,000 / 8	
4.	Other Monetary Losses	Dy. Chairman	Rs.1,000/-* In case of irrecoverable rent damages (including furniture hire charges and service charges) in respect of Board's residential accommodations.	

@ As per Tea Rule 36 of Tea Rules, 1954

* As per Tea Board Bye Laws 52 of Tea Board Bye Laws, 1955.".

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 364 (E), dated the 14th August, 1996 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 606(E), dated 13th July, 2000.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.29 11:12:43 +05'30'